**(दिल्ली राजपत्र भाग – 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)**
**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार**
**(शिक्षा विभाग)**
**पुराना सचिवालय, नई दिल्ली –110054**

संख्या एफ.15(172)/डी.ई./अधि./2010/4926-40 दिनांक 17/10/2012

## अधिसूचना

संख्या एफ.15 (172)/डी.ई./अधि./2010–दिल्ली विद्यालय शिक्षा नियमावली, 1973 के नियम 43 के साथ पठित दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम 1973 (1973 का 18वां) की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली स्कूल शिक्षा (आर्थिक रूप से कमज़ोर तथा लाभहीन वर्ग के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क सीटें) आदेश, 2011, जो कि अधिसूचना संख्या एफ. 15(172)/डी.ई./अधि./2010/69 दिनांक 7.1.2011 द्वारा प्रकाशित हैं, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात :–

1. संक्षिप्त शीर्षक : (1) इस आदेश को दिल्ली स्कूल शिक्षा (आर्थिक रूप से कमज़ोर तथा लाभहीन वर्ग के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क सीटें) संशोधित आदेश, 2012 कहा जायेगा ।

(2) यह तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी ।

2. खण्ड 2 और 6 में संशोधन –

दिल्ली स्कूल शिक्षा (आर्थिक रूप से कमज़ोर तथा लाभहीन वर्ग के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क सीटें) आदेश, 2011 के :–

(1) खण्ड 2 के उपखण्ड (घ) में वाक्य, लाभहीन वर्ग से सम्बन्धित बच्चों से अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग (जो क्रीमी लेयर में नहीं आ रहे) विशेष आवश्कताओं और निःशक्तता ग्रस्त बच्चों से है, जैसा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1996 में परिभाषित है, के बाद निम्नलिखित सम्मलित किया जाए।

**"अनाथ जैसा कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियमावली 2007 में परिभाषित है"** ।

(2) खण्ड 6 में उपखण्ड (ख) के उपरांत निम्नलिखित उपखण्ड (ख ख) सम्मलित किया जाए, अर्थात :–

**"(ख ख) अनाथ बच्चे के प्रवेशार्थ हेतु महिला तथा बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र मान्य होगा।"**

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल**
**के आदेश से तथा उनके नाम पर,**

**(गौंमली पादू)**
**विशेष सचिव ( शिक्षा )**

संख्या एफ.15(172)/डी.ई./अधि./2010/ 4926-40    दिनांक 17/10/2012

**प्रतिलिपि :**

1. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
2. उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली ।
3. मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव को, दिल्ली ।
4. शिक्षा मंत्री, दिल्ली सरकार के सचिव को, दिल्ली ।
5. विशेष कार्याधिकारी मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली ।
6. सचिव (शिक्षा) दिल्ली सरकार, दिल्ली
7. निदेषक (शिक्षा) दिल्ली सरकार, दिल्ली ।
8. सचिव (शिक्षा) दिल्ली नगर निगम ।
9. निदेषक (शिक्षा) , नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली छावनी बोर्ड ।
11. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली ।
12. सभी अपर निदेशक/आर डी ई/जे डी ई/डी डी ई/ए डी ई, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार ।
13. सभी शाखा प्रभारी, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार ।
14. कार्यालय अधीक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) को शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट में डालने के अनुरोध सहित ।
15 गार्ड फाइल ।

**(गौंमली पादू)**
**विशेष सचिव ( शिक्षा )**